न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 09 / 2008

दायर दिनांक–18–01–2008

1 श्रीमती महाकोरी पत्नी स्व श्री पितराम जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
2 सुरेन्द्र सिंह पुत्र पितराम जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
3 नाहरसिंह पुत्र पितराम जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
4 सुमन कुमारी पुत्री पितराम जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)

– आवेदकगण

बनाम

1 श्रीमती जडाई पत्नी स्व नाथिया जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
2 रामस्वरूप पुत्र नाथिया जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
3 परमेश्वर पुत्र नाथिया जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
4 सन्तोष पुत्री नाथिया जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
5 कमला पुत्री नाथिया जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
6 हरकोरी पुत्री नाथिया जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
7 ज्यानी पुत्री नाथिया जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
8 नानी पुत्री नाथिया जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
9 कुरडा पुत्र डेडाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
10 जगना पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
11 सुमेर पुत्र गणपत जाति जाट निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
12 तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – **श्री किशोर कुमार जांगिड़**
वकील अनावेदक :– **श्री विधाधर सिंह जाखड़**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 व
धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया सहिता
व धारा 05 मियाद अधिनियम

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:07 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक– 24.05.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का पेश [illegible] किया कि प्रार्थीगण को न्यायालय ओदश दिनांक 30.01.2001 का प्रथम बार [illegible] दिनांक 04.10.2[illegible] को हुआ इसके पश्चात [illegible] प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायालय [illegible] पेश किया और वकील [illegible] पैरवी हेतु नियुक्त किया, वकील साहब के व्यक्तिगत अनुपस्थित रहने के कारण व आवेदकगण को कुए [illegible]र्य करने व कमाने खाते कलए बाहर जाने ककारण उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.2007 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारीज हो गया इसके पश्चात प्रार्थी संख्या 02 दिनांक 6.01.2008 को अपने केश को संभालने हेतु वकील साहब

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

34

के पास आया तो वकील साहब ने बताया कि आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.2007 को खारीज हो गया इसके पश्चात प्रार्थी ने नकल ली और तुरन्त ही प्रार्थना पत्र पेश किया।

देरी को कण्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाकर देरी को कण्डोन करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के संबंध मे बहस वकील पक्षकार सुनी गई। धारा 05 मियाद अधिनियम नियमानुसार पक्षकार की की मृत्यु होने पर कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। प्रार्थी ने निर्धारित समय में प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है जिसमें प्रार्थी कमाने खाने हेतु बाहर जाना बताया है तथा जानकारी के रोज से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना जाहिर करते हुए दफा 05 मियाद अधिनियम में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा कमाने खाने के लिए बाहर जाने का व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही होन कथन किया है जो प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होता है। इसलिए दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और प्रकरण में हुई विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 09 सीपीसी का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– दावा उनवानी रामदेवा आदि बनाम नाथिया आदि न्यायालय हाजा में चल रहा था जिसके मुकदमा नम्बर 133/99 है। इस दावो में अन्य वादीगण के अलावा वादी नम्बर 2 पितराम पुत्र जोधाराम था उसकी मृत्यु हो गई आवेदकगण वादी नम्बर 2 पितराम के वारिसान है। इस दावे में प्रतिवादी नम्बर 1 नाथिया पुत्र डेडाराम था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 8 प्रतिवादी नम्बर 1 नाथिया के वारिसान है।

वादी नम्बर 2 पिताराम व प्रतिवादी नम्बर 1 नाथिया के विरूद्ध न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.01.2001 को दावा उनवानी रामदेवा आदि बनाम नाथिया आदि मुकदमा नम्बर 133/99 को अबेट करके खारीज कर दिया, वादी नम्बर 2 पितराम व प्रतिवादी नम्बर 1 नाथिया के वरिसानों को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र खारीज करके अदालत हाजा ने प्रतिवादी नम्बर 1 नाथिया व वादी नम्बर 2 पितराम के विरूद्ध दावा अबेट कर दिया तथा इस बिनाय पर सम्पूर्ण दावा खारीज कर दिया इस अबेटमेंट को आवेदकगण निम्न आधार पर सेटसाईड करवाने हेतु निवेदन करते है: –

आवेदकगण वादी नम्बर 2 पितराम के वारिसान है। वादी नम्बर 2 पितराम ही मामले को संभालते थे, आवेदकगण को इसका ज्ञान भी नही था, आवेदकगण नम्बर 1 घरेलू स्त्री है तथा आवेदकगण नम्बर 2, 3, 4 वादी नम्बर 2 पितराम के पुत्र, पुत्री है, जिन्हे पता भी नही था कि आवेदकगण नम्बर 1 के पिता व आवेदकगण नम्बर 2 लगायत 4 के पिता पितराम के कोई वाद भी चल रहा है, आवेदकगण को जब इस वाद चलने बाबत पता ही नही होने के कारण आवेदकगण इस वाद को नही संभाल सके तथा इसी कारण वादी नम्बर 2 की मृत्यु होने पर समय के भीतर कायम मुकाम की दरखास्त पेश नही कर सके, इसलिए न्यायालय का अबेंटमेंट का आदेश दिनांक 30.01.2001 सेटसार्डड होने योग्य है।

जब आवेदकगण को पता चला कि वाद को वादी नम्बर 2 ही संभालता था तथा आवेदकगण को इस बात का पता नही था, वादी नम्बर 2 की अचानक मृत्यु हो गई, इस कारण से प्रतिवादी नम्बर 1 की मृत्यु होने पर उसके वारिसों को कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र समय में पेश नहीं हो सका, इसलिए अबेंटमेंट सेटसाईड करने योग्य है।

अब दिनांक 01.10.2003 को आवेदकगण को मालूम हुआ कि वादी नम्बर 2 पितराम द्वारा पेश एक वाद अबेटमेंट मानकर खारीज कर दिया है यह बात आवेदकगण को तब पता चली जब अनावेदकगण ने वादग्रस्त जमीन पर जबरजस्ती कब्जा करने की धमकी दी व कहा कि पितराम वादी नम्बर 2 का दावा खारीज हो गया है तथा हम जमीन का मुकदमा जीत गये है इसके बाद आवेदकगण ने मालुमात किया तथा जानकार व्यक्ति को साथ लेकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 दिनांक 07.10.2003 को पेश किया जो वकील साहब के वकालतनामा के साथ पेश किया, तथा वकील साहब को पैरवी के लिए अधिकृत कर दिया। प्रार्थीगण कुए पर काम करने व कमाने के लिए बाहर जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित नही हो सके। दिनांक 16.07.2007 को वकील साहब के अपे व्यक्तिगत कारणो से न्यायालय में हाजिर नही होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.2007

ए. सी. ई. एम. (का. टे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:07 IST
Reason: SelfAttested

...अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया। आवेदक नम्बर 2 दिनांक 06.01.2008 को जब अपने केश के बारे में [illegible] के लिए वकील साहब के पास आया तो पता चला। पता चलने पर तुरन्त बाद ही प्रार्थना पत्र सेवा में पेश है। जो कानूनन, तथ्यात्मक रूप से तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर न्याय हित में एवं प्रकरण की गुणवता के आधार पर निर्णित किये जाने हेतु स्वीकार होने योग्य है। लिहाजा वादी नम्बर 2 व प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध अबेंटमेंट का आदेश सेटसाईड किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार होने से आवेदकगण को सख्त हकतलफी होगी, आवेदकगण अपने हक की सम्पति से वंचित हो जायेगे, इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है क्योंकि आवेदकगण को न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2001 का प्रथम बार ज्ञान दिनांक 01.10.2003 को हुआ इसके बाद आवेदकगण ने तुरन्त ही प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया और वकील साहब को पैरवी हेतु नियुक्त किया, वकील साहब के व्यक्तिगत अनुपस्थित रहने के कारण व आवेदकगण के कुए पर कार्य करने व कमाने खाने के लिए बाहर जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.2007 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज हो गया इसके पश्चात पता चलते ही उक्त प्रार्थना तुरन्त पेश है लेकिन फिर भी न्यायालय हाजा प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद नहीं माने तो अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है जिसमें समय को कण्डोन करने हेतु तथा प्रार्थना पत्र को मियाद मे मानने का निवेदन है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद वादी नम्बर 2 पिताराम व प्रतिवादी नम्बर 1 नाथिया के विरूद्ध अवेट किया है एवं खारीज किया है, उसे सेटसाईड किया जावे। जिससे पक्षकारन अपना पक्ष रख सके तथा निर्णय गुणावगुण पर किया जा सके। अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो, वादी के हक में पडती हो, वही भी दिलाई जावे।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जा चुका है। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वादी का वाद–पत्र में पक्षकारान के हक अधिकार तय होने है। वादी नाथिया वादी नम्बर 02 पितराम के विरूद्ध दावे को अबैट माना है जबकि प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार वादी नम्बर 01 नाथिया के वारिसो को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना था परन्तु दिनांक 30.01.2001 को सम्पूर्ण वाद–पत्र को अबैट मानकर निरस्त फरमाया गया है। जहां तक कानूनी प्रावधान का प्रश्न है जो पक्षकार की मृत्यु होती है तो उसके कायम मुकाम तक ही वाद अबैट होता है न कि सम्पूर्ण वाद अबैट होता है। वादी का वाद खातेदारी की घोषणा का वाद है मृतक नाथिया के वारिसान के अलावा अन्य पक्षकारान भी वाद में पक्षकार है जिनके हक अधिकार प्रभावित होते है। स्वतः अबैट मानकार वाद पत्र को खारिज किये जाने का अति–कठोरतम प्रावधान है जो विशेष परिस्थिति में ही दिया जाना चाहिए। पक्षकारान को अनावश्यक मुकदमें बाजी में नही फसना पड़े ऐसी परिस्थिति में वाद–पत्र दिये आदेश दिनांक 30.01.2001 को सैट–असाईड किया जाना उचित है। वकील आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2010(1)PAGE NO. 167, RLW 2008(1)RJ PAGE NO. 611, RRT 2019(1)PAGE NO. 669 पेश किये गये। आवेदक के प्रकरण में काफी समय व्यतीत हो चुका है। न्यायिक दृष्टात का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टांतो की रोशनी में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 09 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी. 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद में आंदेश दिनांक 30.01.2001 को सैट–असाईड (अपास्त) कर वाद–पत्र को पुनः नम्बर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। मूल पत्रावली जिला अभिलेखाकार से तलब की जाकर दर्ज रजिस्टर की [illegible] होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील मूल दावे के साथ संलग्न किया जावे। खर्चा पक्षकारान [illegible] अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:07 IST
Reason: SelfAttested

(ए.सी.ई. एम्मी (कंवर दे.)
[illegible]यक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
[illegible]गढ़ जिला झुन्झुनू